भारत सरकार
पंचायती राज मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2416
दिनांक 10.12.2024 को उत्तरार्थ

ई-ग्राम स्वराज

†2416. श्री हनुमान बेनीवाल:

क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) भारत में ग्राम पंचायतों को डिजिटल बनाने और पंचायती राज संस्थानों में ई-गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे कार्यों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने राजस्थान में पंचायतों को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर काम करने के लिए पर्याप्त प्रशिक्षण और संसाधन उपलब्ध कराए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या ई-ग्राम स्वराज राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में कोई वास्तविक योगदान दे रहा है या यह केवल कागजों पर ही सीमित है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पंचायती राज राज्य मंत्री

(प्रोफ. एस. पी. सिंह बघेल)

(क) से (ङ) डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत, पंचायती राज मंत्रालय देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (यूटी) में ई-पंचायत मिशन मोड परियोजना (एमएमपी) को लागू कर रहा है। इस पहल का उद्देश्य पंचायतों के कामकाज को नया रूप देना है, उन्हें अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और प्रभावी बनाना है। इस पहल के हिस्से के रूप में, मंत्रालय ने ई-ग्राम स्वराज लॉन्च किया है, जो एक ऑनलाइन योजना और लेखांकन एप्लिकेशन है जिसे पंचायत गतिविधियों जैसे कि योजना, लेखांकन और बजट को सरल बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

पंचायतें अपनी वार्षिक पंचायत विकास योजनाएँ तैयार करने और अपलोड करने के लिए ई-ग्राम स्वराज पोर्टल का उपयोग करती हैं। योजना वर्ष/वित्त वर्ष 2024-25 के लिए, 2,54,773 ग्राम पंचायतों ने अपनी ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) को पोर्टल पर सफलतापूर्वक अपलोड किया है। वर्ष 2024-25 के

लिए राजस्थान सहित ई-ग्रामस्वराज पर शामिल होने के संबंध में राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा की गई विस्तृत प्रगति **अनुबंध** में दी गई है।

ई-ग्राम स्वराज पोर्टल को सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) के साथ एकीकृत किया गया है, ताकि पंचायतों को विक्रेताओं और सेवा प्रदाताओं को वास्तविक समय पर ऑनलाइन भुगतान करने में सुविधा हो और इस तरह वित्तीय संचालन को सुव्यवस्थित किया जा सके और उनके कामकाज में पारदर्शिता लाई जा सके। इसके अलावा, मंत्रालय ने पंचायत की खरीद में पारदर्शिता लाने के लिए ई-ग्राम स्वराज को सरकारी ई-मार्केटप्लेस (जीईएम) के साथ एकीकृत किया है। यह एकीकरण पंचायतों को ई-ग्राम स्वराज प्लेटफॉर्म के तहत जीईएम के माध्यम से वस्तुओं और सेवाओं की खरीद करने की अनुमति देता है, जिससे 'वोकल फॉर लोकल' पहल को बढ़ावा मिलता है।

पारदर्शिता और वित्तीय विवेक को और बढ़ाने के लिए, मंत्रालय ने ऑडिटऑनलाइन विकसित किया है, जो पंचायती खातों की ऑडिटिंग और वित्तीय प्रबंधन में सुधार के लिए एक ऑनलाइन एप्लिकेशन है। अप्रैल 2020 में लॉन्च किया गया ऑडिटऑनलाइन सीएफसी फंड के उपयोग की पारदर्शी ऑडिटिंग को सक्षम बनाता है। मंत्रालय ने पंचायत शासन में पारदर्शिता और दक्षता में सुधार के लिए मेरी पंचायत और पंचायत निर्णय जैसे एप्लिकेशन भी शुरु किए हैं। मेरी पंचायत जहां योजना, गतिविधियों और कार्य प्रगति की जानकारी जनता तक पहुँचाती है, वहीं पंचायत निर्णय ग्राम सभा की कार्यवाही में पारदर्शिता और प्रबंधन को बढ़ाता है।

पंचायती राज संस्थाओं के प्रभावी क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण के लिए, मंत्रालय राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में डिजिटल प्लेटफॉर्म पर काम करने सहित उनकी शासन क्षमताओं को विकसित करने के लिए वित्तीय वर्ष 2022-23 से राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) की संशोधित केंद्र प्रायोजित योजना को लागू कर रहा है। यह एक मांग आधारित योजना है और इस योजना के तहत राजस्थान सहित राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को आरजीएसए के तहत उनकी वार्षिक कार्य योजना के आधार पर धनराशि मंजूर की जाती है। प्रशिक्षण प्रबंधन पोर्टल (टीएमपी) पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार, राजस्थान राज्य द्वारा आरजीएसए योजना के तहत 2022-23 से अब तक 1,00,122 प्रतिभागियों को पंचायत शासन के विभिन्न विषयों पर प्रशिक्षित किया गया है, जिसमें डिजिटल साक्षरता जैसे ई-गवर्नेंस स्टार्टअप, विभिन्न पोर्टलों पर डिजिटल साक्षरता, खातों पर डिजिटल साक्षरता और पीएफएमएस आदि शामिल हैं।

***

अनुबंध

'ई-ग्राम स्वराज' के संबंध में दिनांक 10.12.2024 को उत्तरार्थ लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2416 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान XV वित्त आयोग के लिए पंचायत स्तर पर ई-ग्राम स्वराज को अपनाना

क्र. स	राज्य का नाम	ग्राम पंचायतों एवं समकक्ष की कुल संख्या	ऑनबोर्ड ग्राम पंचायत	ऑनलाइन भुगतान के साथ ग्राम पंचायतें और समकक्ष	ब्लॉक पंचायतों और समकक्ष की कुल संख्या	ऑनबोर्ड ब्लॉक पंचायत	ऑनलाइन भुगतान के साथ ब्लॉक पंचायतें	जिला पंचायतों और समकक्ष की कुल संख्या	ऑनबोर्ड जिला पंचायत	ऑनलाइन भुगतान के साथ जिला पंचायतें
1	आंध्र प्रदेश	13328	13296	12733	660	660	626	13	13	13
2	अरुणाचल प्रदेश	2108	2106	157	0	0	0	25	25	5
3	असम	2662	2197	2138	191	191	175	30	27	25
4	बिहार	8054	8054	7979	534	534	522	38	38	38
5	छत्तीसगढ़	11596	11594	11328	146	146	146	27	27	27
6	गोवा	191	190	81	0	0	0	2	2	2
7	गुजरात	14655	14591	13149	248	248	248	33	33	33
8	हरियाणा	6225	6220	5659	143	143	125	22	22	22
9	हिमाचल प्रदेश	3615	3614	3397	81	81	78	12	12	12
10	झारखंड	4345	4345	4295	264	264	259	24	24	23
11	कर्नाटक	5954	5953	5928	238	232	101	31	31	28
12	केरल	941	941	935	152	152	149	14	14	14
13	मध्य प्रदेश	23011	23009	22949	313	313	308	52	52	52
14	महाराष्ट्र	27911	27828	25364	351	351	293	34	34	34
15	मणिपुर	3180	161	107	0	0	0	12	6	4
16	मेघालय	6817	0	0	2241	0	0	3	3	0
17	मिजोरम	842	842	832	0	0	0	0	0	0

क्र. स	राज्य का नाम	ग्राम पंचायतों एवं समकक्ष की कुल संख्या	ऑनबोर्ड ग्राम पंचायत	ऑनलाइन भुगतान के साथ ग्राम पंचायतें और समकक्ष	ब्लॉक पंचायतों और समकक्ष की कुल संख्या	ऑनबोर्ड ब्लॉक पंचायत	ऑनलाइन भुगतान के साथ ब्लॉक पंचायतें	जिला पंचायतों और समकक्ष की कुल संख्या	ऑनबोर्ड जिला पंचायत	ऑनलाइन भुगतान के साथ जिला पंचायतें
18	नागालैंड	1289	186	0	0	0	0	0	0	0
19	ओडिशा	6794	6794	6789	314	314	314	30	30	30
20	पंजाब	13236	13219	8777	152	151	107	22	22	19
21	राजस्थान	11211	11206	10398	361	353	351	33	33	33
22	सिक्किम	199	199	188	0	0	0	6	6	6
23	तमिलनाडु	12525	12525	12496	388	388	388	36	36	36
24	तेलंगाना	12771	12768	12592	540	540	488	32	32	31
25	त्रिपुरा	1194	1176	1136	75	75	73	9	9	8
26	उत्तराखंड	7795	7794	7728	95	95	95	13	13	13
27	उत्तर प्रदेश	57691	57691	57264	826	826	811	75	75	75
28	पश्चिम बंगाल	3339	3339	3338	345	345	345	22	21	21
कुल		**263479**	**251838**	**237737**	**8658**	**6402**	**6002**	**650**	**640**	**604**